



**बैंक ऑफ बड़ौदा Bank of Baroda**

एचओ:बीआर:116:182

दिनांक: 13.08.2024

**कर्मचारी पेंशन विभाग**

**प्रधान कार्यालय, बड़ौदा द्वारा जारी**

**भारत में स्थित सभी शाखाओं/ कार्यालयों के लिए परीपत्र**

महोदया / महोदय,

**विषय: अगस्त 2024 से जनवरी 2025 तक की अवधि के लिए देय महंगाई राहत**

**(ए) हमारे बैंक के 1.1.1986 से पूर्व के जीवित सेवानिवृत्त कर्मचारी**

**(बी) हमारे बैंक के 1.1.1986 से पूर्व के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के जीवित जीवनसाथी जिन्हें अनुग्रह राशि मिलती है.**

शाखाएं अवगत हैं कि भारत सरकार से प्राप्त निर्देशों के अनुसार हमारे बैंक के 1.1.1986 से पूर्व के जीवित सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके जीवित जीवनसाथी को अनुग्रह राशि का भुगतान किया जा रहा है.


इस संबंध में हम अपने परिपत्र सं. एचओ: बीआर: 109/58 दिनांक 13.04.2017 का संदर्भ देते हैं जिसके माध्यम से शाखाओं को हमारे बैंक के 1.1.1986 से पूर्व के जीवित सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके जीवित जीवनसाथी को अप्रैल 2017 से केंद्रीकृत रूप से अनुग्रह राशि के भुगतान के संबंध में सूचित किया गया था. अतः हमारा स्टाफ पेंशन विभाग, प्रधान कार्यालय, बड़ौदा अप्रैल 2017 से प्रत्येक माह इन लाभार्थियों को अनुग्रह राशि का भुगतान कर रहा है.

भारतीय बैंक संघ द्वारा हमें सूचित किया गया है कि **अगस्त 2024 से जनवरी 2025 तक की अवधि के लिए** ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को देय महंगाई राहत निम्नानुसार होगी.

लागू सीपीआई औसत		प्रति माह अनुग्रह राशि	महंगाई राहत की दर	प्रति माह महंगाई राहत राशि	प्रति माह महंगाई राहत सहित कुल अनुग्रह राशि
		रु.	%	रु.	रु.
9122.33	दिनांक 1.1.1986 से पूर्व के सेवानिवृत्त कर्मचारी	350	1443.18	5051.13	5401.13
	दिनांक 1.1.1986 से पूर्व के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के जीवित जीवनसाथी	175	1443.18	2525.57	2700.57

केंद्रीकृत रूप से अनुग्रह राशि का भुगतान किए जाने के कारण शाखाओं को अप्रैल 2017 से अनुग्रह राशि का भुगतान नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं. अगस्त 2024 से जनवरी 2025 तक की अवधि के लिए 1.1.1986 से पूर्व के जीवित सेवानिवृत्त कर्मचारियों को देय महंगाई राहत में संशोधित से संबंधित यह पत्र केवल शाखाओं की सूचना के लिए है ताकि महंगाई राहत की वर्तमान दर के संबंध में पूछे जाने पर ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सूचित किया जा सके.

भवदीय,

  
(शैलेन्द्र सिंह)

मुख्य महाप्रबंधक (मानव संसाधन प्रबंधन एवं विपणन)



प्रधान कार्यालय : मा.सं.प्र. - छठा तल, "बड़ौदा भवन", आर.सी.दत्त रोड, अलकापुरी, बड़ौदा-390007. गुजरात. (भारत).

Head Office : HRM - 6<sup>th</sup> Floor, "Baroda Bhavan", R. C. Dutt Road, Alkapuri, Baroda - 390007. Gujarat (INDIA).

ई-मेल/E-mail : pension.ho@bankofbaroda.com, वेबसाइट/Website : www.bankofbaroda.com

HO:BR:116:182

Date:13.08.2024

**ISSUED BY  
STAFF PENSION DEPARTMENT  
HEAD OFFICE, BARODA**

**CIRCULAR TO ALL BRANCHES / OFFICES IN INDIA**

Madam / Dear Sir,

**Re: Dearness Relief payable for the period from August-2024 to January-2025 to:**

- (A) Surviving pre-1.1.1986 retirees of our Bank  
(B) Surviving spouses of pre- 1.1.1986 retirees of our Bank who are in receipt of Ex-gratia

Branches are aware that ex-gratia is paid to surviving pre- 01.01.1986 retirees and their surviving spouses in terms of the directive received from Government of India.


In this regard, we invite reference to our Circular No. HO:BR:109/58 dated 13.04.2017 vide which branches were informed about centralization of payment of ex-gratia to surviving pre- 01.01.1986 retirees and their surviving spouses w.e.f. April 2017. Accordingly, our Staff Pension Department, HO, Baroda is paying ex-gratia every month to these beneficiaries from April 2017 onwards.

We have been advised by Indian Banks' Association that Dearness Relief payable to such retirees for the period from August 2024 to January 2025 would be as under:-

Applicable CPI Average		Amount of Ex-gratia per month	Rate of Dearness Relief	Amount of Dearness Relief per month	Total Ex-gratia amount including Dearness Relief per month
		Rs.	%	Rs.	Rs.
9122.33	Pre 01.01.1986 retirees	350	1443.18	5051.13	5401.13
	Surviving spouse of pre 01.01.1986 retirees	175	1443.18	2525.57	2700.57

Consequent upon centralization of payment of ex-gratia, the branches are under instructions not to pay ex-gratia from April 2017 onwards. This letter about revision in the dearness relief payable to surviving pre- 01.01.1986 retirees from August 2024 to January 2025 is just for information of the branches to enable them to clarify to such retirees if they enquire about the present rate of dearness relief.

Yours faithfully,

  
(Shailendra Singh)  
Chief General Manager (HRM & Marketing)